



न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अमील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-91/2010

- 1- राधेश्याम पुत्र हरचन्द
2- मनोहरलाल पुत्र राधेश्याम
- जाति ब्राह्मण निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर राज0
- अपीलान्टस्--

---बनाम---

- 1- नूर बानो पत्नी युसूफ़े खां जाति कायमखानी निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर राज0
- 2- विनोद
3- ओमप्रकाश
4- सुरेन्द्र
- पुत्रगण भगवानदत्त जाति ब्राह्मण निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर ।
- 5- सीताराम पुत्र हरचन्द दत्तक पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राह्मण निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर---- मृतक---
- 6- श्याम सुन्दर पुत्र राधेश्याम दत्तक पुत्र परसाराम जाति ब्राह्मण निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर, राज0।
- 7- मृतक- मकबूल पुत्र भूरे खां जाति खत्री निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर राज0-
- 7/1-मृतका-- कलसुम पत्नी मकबूल जाति खत्री निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर, राज0
- 7/2- शबीना पुत्री मकबूल पत्नी मुराद खां जाति चौहान निवासी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला हुन्डुन ।
- 7/3- मोहसीना पुत्री मकबूल पत्नी युनुस खां जाति मुसलमान निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर ।
- 7/4- इरफान पुत्र मकबूल जाति खत्री निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर ।
- 7/5- अलताफ पुत्र मकबूल आयु-14 वर्ष
7/6- शबीना पुत्री मकबूल आयु-11 वर्ष
- जाति खत्री निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर जरिये प्राकृतिक भ्राता इरफान पुत्र मकबूल जाति खत्री निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर ।
- 8- तहसीलदार लक्ष्मणागढ़ जिला सीकर बहसियत भूमिधारक राज्य सरकार ।

--रेस्पोंडेन्टस्--

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अमील अधिकारी
सीकर



अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 6-5-2010 एवं अन्तिम
डिक्री दिनांक 19-7-2010 द्वारा
उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणागढ़ ।

---0---

उपस्थिति-

- 1-श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा एडवोकेट-अपीलान्ट
- 2-श्री लक्ष्मणासिंह सूनडा एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक- 20.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीनी/रेस्पोंडेन्ट संख्या-
-1 ने दावा बाबत बंटवारा का पेशा कर निवेदन किया कि ग्राम बलारा में
आराजी ख0नं0 16 रकबा 4.11 हैक्टर, ख0नं0 25 रकबा 9.89 हैक्टर, ख0नं0
214 रकबा 2.18 हैक्टर, ख0नं0 462 रकबा 0.16 हैक्टर कुल कित्ता-4 रकबा
16.24 हैक्टर में वादीनी 1/4 हिस्से की खातेदार काशतकार है । जिसका
बंटवारा कराना चाहती है। अतः वादीनी का 1/4 हिस्से की 4.06 हैक्टर
भूमि का वादीनी का अलग खाता एवं लगान अलग से कायम किया जावे। योग्य
अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव
आने पर अन्तिम डिक्री जारी की । जिससे धुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील
निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है
रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 ने विवादित आराजी में अपना 1/4 हिस्सा बताकर अलग
खाता एवं लगान अलग कायम करने का निवेदन किया । जमाबन्दी में रेस्पोंडेन्ट
संख्या- 2, 3, व 4 तथा उनकी माता मैना देवी मृतक का मृतक का 1/12
हिस्सा, राधेश्याम अपीलान्ट/प्रतिवादी सं0-5 व सीताराम रेस्पोंडेन्ट का
1/6 हिस्सा, सीताराम दत्तक पुत्र गोविन्दराम रेस्पोंडेन्ट सं0-5 का 1/4
हिस्सा, श्यामसुन्दर दत्तक पुत्र परसाराम के 1/4 हिस्से में 0.77 हैक्टर हिस्सा



सुरेन्द्रपालसिंह पुत्र रणजीतसिंह तथा खसरा नं० 25 में मनोहरलाल अपीलान्ट सं०-2 का 1.64 हैक्टर हिस्सा दर्ज है। जिनका प्रत्येक खसरा नम्बर में एक हिस्सा है। तहसीलदार लक्ष्मणागढ ने जमाबन्दी में दर्ज आराजीयात का मौका अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में देखा गया है। अपीलान्ट को उक्त गलत विभाजन का मालूम चलने पर यह अपील पेश की गई। विभाजन प्रस्ताव पर बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत रूप से डिक्री पारित की है। जमाबन्दी में बताये गये हिस्से के अनुसार नुरबानों वादिया का उक्त चारों खसरा नम्बरों में 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा वादीनी के बैयान पत्र में भी उक्त चारों ख० नं० में 1/4 हिस्सा है बैया जाना अंकित है। किन्तु अदालत मातहत ने रेस्पोंडेन्ट सं०-1 को खसरा नं० 25 में 1.0475 हैक्टर भूमि अधिक दी गई है। रेस्पोंड सं०-1 की उल्लेख जमाबन्दी के अनुसार 2.4725 हैक्टर होता है जबकि रेस्पोंड सं०-1 को इस खसरा में बंटवारे में 3.5200 हैक्टर रकबा दिया है तथा खसरा नम्बर-16 में रेस्पोंडेन्ट का हिस्सा है 1.0275 हैक्टर जिसमें कोई हिस्सा नहीं दिया तथा न ही खसरा नं० 462 में से दिया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत ने केवल रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 को फायदा देने की नियत से तथा रेस्पोंड सं०-2 से 7 को नुकसान पहुंचाने की नियत से तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जिन पर बिना गौर किये आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है जमाबन्दी में अपीलान्ट तथा उसके भाई सीताराम पुत्र हरचन्द का 1/6 हिस्सा दर्ज है। अपीलान्ट का भाई सीताराम गोविन्दराम के गोद चला गया। इससे अपीलान्ट अपने पिता हरचन्द के 1/6 हिस्से पर ख० नं० 25 में 1.6483 हैक्टर तथा ख० नं० 214 में 1.0583 हैक्टर पर अपीलान्ट का बिज है। तथा उक्त भूमि की कायत करता आ रहा है। जिसका रेकार्ड दुरुस्ती का दावा अपीलान्ट करेगा। उक्त खसरा नम्बरों में उक्तानुसार बंटवारे में भूमि नहीं देकर अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। अपीलान्ट ने ख० नं० 25 में 1.6400 हैक्टर भूमि पर कायत करता आ रहा है। अपीलान्ट संख्या-2 ने अपनी आराजी के उची ऊची डोल लगा रखी है तथा उसमें लगे पेड़ों पर उसका नाम अंकित है। किन्तु तहसीलदार ने इन तथ्यों को विभाजन प्रस्ताव में दर्ज न कर अपने प्रस्ताव



प्रस्ताव भिजवाये जिन पर अदालत मातहत ने बिना गौर किये रेस्पोंडेन्ट संख्या -1 को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिये यह आदेशा विधि विरुद्ध पारित किया है। बंटवारा प्रस्ताव में रास्तों का भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक््री निरस्त की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट को अदालत मातहत में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट को बिना सूचना दिये अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की है जिसमें रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 को ख0नं0 25 में जो कीमती जमीन है उसमें से 1.0475 हैक्टर भूमि अधिक दी है। जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 का ख0नं0 25 में केवल 2.4725 हैक्टर हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार बनता है जबकि दिया गया है 3.5200 हैक्टर इस प्रकार बंटवारा जमाबन्दी दर्ज हिस्से के अनुसार न देकर अपनी मन की मर्जी से दिया गया है। ख0नं0 16 व 462 में रेस्पोंडेन्ट सं0-1 को कोई हिस्सा नहीं दिया गया। जबकि कानून सभी खसरा नम्बरों में से रेस्पोंडेन्ट को 1/4 हिस्से के अनुसार खाता विभाजन करना चाहिये था। योग्य अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर महज तहसीलदार के विधि विरुद्ध विभाजन प्रस्ताव पर ही बिना सुने अन्तिम डिक््री जारी कर दी। इस प्रकार अदालत मातहत की प्राथमिक डिक््री एवं अन्तिम डिक््री विधि विरुद्ध है। अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक््री निरस्त की जावे।


सू-प्रणय अतिथारी एव
सदन राजस्थान अपील अतिथारी
सीकर



विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है। अदालत मातहत में मेरा दावा था कि उक्त विवादित आराजी में मेरा 1/4 हिस्सा है और 1/4 हिस्से पर ही मैं काबिज हूँ अदालत मातहत ने उभयपक्षों की सुनवाई के बाद प्राथमिक डिक्री जारी की जिसमें विभाजन प्रस्ताव से पूर्व तहसीलदार ने सभी पक्षकारों को नोटिस के द्वारा सूचना देकर मौके के विभाजन प्रस्ताव इनकी मौजूदगी में तैयार किये है विवादित आराजी में अन्य सहखातेदारों को कोई शिकायत नहीं है केवल अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है जो मुझे हैरान एवं परेशान करने की नियत से पेश की गई है। मौके पर तहसीलदार ने मेरा 1/4 हिस्से पर कब्जा पाया है और कब्जे के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है। मेरा 1/4 हिस्सा 4.0600 हैक्टर बनता है और इतना ही रकबा मुझे दिया गया है। अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

बहस बगौर समाप्त की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रदर्श-1 जमाबन्दी सं०-2054 से 2057 में आराजी ख० नं० 16, 25, 214 एवं 462 कुल किता-4 रकबा 16.24 हैक्टर की खातेदारी नूरबानो पत्नी युसूफ खां हि० 1/4, मेवा बेवा भगवानदत्त, विनोद ओमप्रकाश सुरेन्द्र पि० भगवानदत्त हि० 1/12 ब० हि० ब० सीताराम, राधेश्याम पि० हरचन्द हि० 1/6 ब० हि० ब०, सीताराम पि० मु० गोविन्दराम हि० 1/4, श्यामसुन्दर पि० मु० परसाराम हि० 1/4 में से 0.77 ख० नं० 25 में से मनोहर पुत्र राधेश्याम 1.64 हैक्टर, मकबूल पुत्र भूरे खां ख० नं० 25 में से 1.64 हैक्टर का खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी में रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 का विवादित आराजी में 1/4 हि० दर्ज है। रेस्पोंडेन्ट का 1/4 हिस्से का रकबा 4.0600 हैक्टर होता है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव में ख० नं० 25 एवं 214 में से 4.0600 हैक्टर भूमि ही दी गई है जो मुताबिक राजस्व रेकार्ड है। अदालत मातहत ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति पर सुनवाई करते हुये आपत्ति प्रार्थना पत्र को सारहित होने से खारिज किया है तथा अपीलान्ट का आने जाने का

राज्यी एवं पदेन राजस्व अधिकारी
सीकर



रास्ते का प्रावधान होने के कारण विभाजन प्रस्ताव को उचित मानते हुये अन्तिम डिक्री जारी की है जिससे स्पष्ट है। पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपना निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं पाते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणागढ़ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6-5-2010 एवं 19-7-2010 को यथावत रखा जाता है । निर्णय की एक प्रति अपील सं०- 92/2010 राधेश्याम बनाम नूरबानों में संलग्न की जावे। इस अपील का निर्णय भी उक्तानुसार किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.11.2017 को सुनाया गया ।


॥ अंवरलाल मेहरड़ा ॥

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्रपधिकारी
सीकर